107

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1105–एक/2015 विरूद्ध आदेश, दिनाक 1–5–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 88/2013–14/अपील.

1 केशवप्रसाद
2 भगवती
3 रघुनाथ
पुत्रगण श्री गोविन्द समस्त जाति ब्राहम्ण
निवासी ग्राम कुकथरी तहसील अम्बाह जिला मुरैना

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 रामवली पुत्र श्री गोविन्द
2 ज्वाला प्रसाद दत्तक पुत्र ग्याराम
3 बृजराज पुत्र रामेश्वर
4 रामलखन पुत्र श्री गोविन्द
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम
कुकथरी तहसील अम्बाह जिला मुरैना

–अनावेदकगण

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा प्रकरण कमांक 88/2013–14/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 1–5–2015 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सुमावली, कुकथरी एवं गोलापुरा में स्थित प्रश्नाधीन भूमियों का बंटवारा किये जाने बाबत संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार अम्बाह के न्यायालय में निगरानीकर्ता केशवप्रसाद, भगवती प्रसाद, रघुराज पुत्रगण श्री गोविन्द तथा ज्वाला प्रसाद दत्तक पुत्र ग्याराम व बृजराज पुत्र रामेश्वर निवासीगण ग्राम कुकथरी तहसील अम्बाह द्वारा प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार अम्बाह द्वारा प्रकरण कमांक 53/2012–13/अ–27 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 31–1–2014 से बंटवारा आदेश पारित किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2014 से परिवेदित होकर गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 रामवली पुत्र श्री गोविन्द द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । अपील मेमों के साथ अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब को माफ किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा प्रकरण कमांक 88/13–14/अपील माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 1–5–2015 से गैरनिगरानीकर्ता रामवली द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये प्रस्तुत अपील अवधि के अन्दर मान्य की गयी। उक्त आदेश से दुखी होकर निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का समग्र रूप से परिशीलन किया गया ।

4/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क में मुख्यतः यह बताया गया है कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की जानकारी होने का स्त्रोत यह बताया गया है कि पटवारी मौजा से भू–अधिकार ऋण पुस्तिका बनवाये जाने पर हुआ । गैरनिगरानीकर्ता ने इस संबंध में चालान व आवेदन पत्र की नकल प्रस्तुत नहीं की गयी । गैरनिगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 13–6–2014 को प्राप्त कर ली गयी थी, उसके बाद दिनांक 27–6–2014 को अपील प्रस्तुत की गयी । इस बीच के विलंब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कियो गया । तहसीलदार अम्बाह के न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिका के अवलोकन से

यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा गैरनिगरानीकर्ता रामवली को सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु तामील कुनिन्दा द्वारा अदम तामील वापिस किया गया । तामील को देखने से यह स्पष्ट है कि तामील कूनिन्दा द्वारा विधिवत रूप से तामील का निर्वाह नहीं कराया गया । तामील के पृष्ठ भाग पर तामील वापिस किये जाने बाबत कोई टीप अंकित नहीं है । केवल अदम वापिस लिखा हुआ है । पुनः तामील चस्पा किये जाने का आदेश दिनांक 17–10–13 को दिये गये, जबकि प्रकरण में दिनांक 15–10–13 नियत थी । गैरनिगरानीकर्ता का यह तर्क है कि प्रथम बार ही तहसीलदार द्वारा तामील चस्पा से कराये जाने का आदेश किया गया, जो तामील निर्वाह कराये जाने के संबंध में बनाये गये नियमों के विपरीत है । गैरनिगरानीकर्ता के अभिभाषक का यह तर्क स्वीकार योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि के अन्दर मान्य करने के संबंध में विस्तृत विवेचना की जा चुकी है । पुनः उसको दोहराया जाना आवश्यक नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा समय समय पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किये जाते रहे हैं कि विलंब माफ करने के संबंध में न्यायालय को उदार रूख अपनाया जाना चाहिये । अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा इन न्यायिक सिद्धांतों का ही पालन सुनिश्चित किया जाकर अपील को अवधि के अन्दर मान्य करने में कोई अवैधानिकता नहीं की है ।

5/ वैसे भी अभी अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करना है । निगरानीकर्तागण को अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के समक्ष अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर प्राप्त है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–5–2015 विधिसम्मत आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर